हाथी-मानव संघर्ष: झूलती बिजली लाइनों का घातक खतरा

प्रकाशित: 13 नवंबर 2026 · pcsmantra.com



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

13 नवंबर 2026: 12 नवंबर 2026 को झारखंड के खूंटी जिले के रानिया क्षेत्र में टेतारी गाँव के पास कोयल नदी पार करता एक लगभग 25 वर्षीय वयस्क हाथी (नर) झूलती 11,000 वोल्ट की ऊपरी बिजली लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से मर गया। वन अधिकारियों के अनुसार लाइन ज़मीन से महज 7-8 फीट की ऊँचाई पर लटक रही थी और झाड़ियों के बीच दिखती भी नहीं थी - यह एक विद्यालय की ओर जाने वाले रास्ते के पास थी, जहाँ ग्रामीण और वाहन नियमित आते-जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद वन विभाग ने रानिया, टपकारा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के हाथी गलियारों में नीची लाइनों के सर्वे का आदेश दिया है।

घटना के प्रमुख तथ्य

- **स्थान और समय:** रानिया-सोडे मुख्य मार्ग, टेतारी गाँव के पास; प्रारंभिक जाँच में मृत्यु का समय सुबह 4 से 6 बजे के बीच बताया गया।
- **प्रारंभिक निष्कर्ष:** शरीर पर तार के तीन स्पष्ट निशान; प्रथमदृष्ट्या करंट लगने से मृत्यु - पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
- **विभागीय प्रतिक्रिया:** खूंटी के वन प्रभाग अधिकारी ने बताया कि बिजली विभाग को पहले भी हाथी गलियारों की झूलती लाइनों के बारे में सूचित किया गया था; अब जाँच होगी कि सुधारात्मक कदम उठाए गए या नहीं।
- **लंबित योजना:** बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के अनुसार हाथी गलियारे में लाइनें ऊँची करने का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) एक वर्ष से अधिक समय से वरिष्ठ स्तर पर मंजूरी के लिए लंबित है; कुछ क्षेत्रों में लाइन की अधिकतम ऊँचाई 14-15 फीट है, जो दो खंभों के बीच थोड़ी झूल जाती है और सूंड उठाने पर बड़े हाथी को छू सकती है।

राष्ट्रीय तस्वीर: करंट से मरते हाथी

- **आंकड़े:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के आंकड़ों और सूचना के अधिकार के जवाबों के अनुसार 2009 से 2020 के बीच करंट लगने से 741 हाथियों की मृत्यु हुई; 2014-15 से 2018-19 के बीच मानव-संघर्ष से जुड़ी 510 हाथी-मृत्युओं में 333 (लगभग दो-तिहाई) करंट से ही हुईं।
- **दो प्रकार के खतरे:** एक, अवैध विद्युत बाड़ (illegal electric fencing) - फसल बचाने के लिए खेतों में लगाई गई करंट-वाली तारें; दो, झूलती या टूटी पारेषण/वितरण लाइनें। कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल शपथ-पत्र के अनुसार 2023-24 में करंट से 13 हाथी-मृत्युओं में 10 अवैध बाड़ और 3 झूलती लाइनों से, जबकि 2024-25 में 12 मृत्युओं में 6 झूलती लाइनों से हुईं - यानी दोनों खतरे सक्रिय हैं।
- **संघर्ष की जड़ें:** आवास-खंडन (habitat fragmentation), गलियारों में अतिक्रमण और भोजन-पानी की खोज में हाथियों का बसतियों तक आना - इन सबके बीच बिजली का बुनियादी ढाँचा बिना सुरक्षा-मानकों के बिछा हुआ है।

कानूनी-प्रशासनिक ढाँचा और न्यायालयीन दिशाएँ

- **संरक्षण-दर्जा:** हाथी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में है, यानी इसे सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है; 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' (1992) हाथी और उसके आवास-गलियारों के संरक्षण की केंद्रीय योजना है।
- **MoEFCC दिशानिर्देश (24 अक्टूबर 2016):** वन क्षेत्रों से गुजरने वाली वितरण लाइनों के लिए एरियल बंच्ड केबल (ABC - एक-दूसरे से लिपटी अछूत तारों की गुच्छ-केबल) या भूमिगत केबल को प्राथमिकता देने के दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
- **कर्नाटक उच्च न्यायालय (2025):** ई-निगरानी (e-surveillance) और भूमिगत केबलिंग समेत कई निर्देश दिए; 2016 के दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी, वन और ऊर्जा विभाग के समन्वय से झूलती लाइनों की जाँच और उचित ऊँचाई का रखरखाव, तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) द्वारा पहाड़ी इलाकों के लिए तय न्यूनतम-ऊँचाई मानकों का पालन कहा गया।
- **सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (2022):** करंट से हाथी-मृत्युओं पर नोटिस जारी हुआ; याचिका में संरक्षित क्षेत्रों और हाथी गलियारों से गुजरने वाली उच्च-वोल्टेज लाइनों का इन्सुलेशन और 'गजः' (Gajah, 2010) रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की मांग उठी थी।

समाधान के रास्ते

- **तकनीकी:** हाथी-बहुल क्षेत्रों में अछूत (insulated) या भूमिगत केबल; न्यूनतम ऊँचाई-मानकों का सख्त पालन और झूल (sag) की नियमित जाँच; अवैध विद्युत बाड़ पर कार्रवाई और सुरक्षित सौर-बाड़ का प्रचार।
- **संस्थागत:** वन और बिजली विभाग के बीच समयबद्ध सूचना-विनिमय और संयुक्त निरीक्षण; DPR जैसी योजनाओं की मंजूरी में तेजी; हाथी गलियारों का सत्यापन और बिजली-परियोजनाओं में प्रारंभ से सुरक्षा-शर्तें।
- **निगरानी:** ई-निगरानी, गश्त और ग्रामीण शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया-तंत्र - खूंटी घटना दिखाती है कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद देरी कितनी घातक हो सकती है।

आगे की राह

खूंटी की घटना कोई अपवाद नहीं, एक पैटर्न का नवीनतम अध्याय है: लंबित DPR, अनसुनी शिकायतें और मानकों से नीचे झूलती लाइनें। हाथी-मानव संघर्ष का समाधान केवल वन विभाग के दायित्व में नहीं छोड़ा जा सकता - ऊर्जा विभाग, राज्य सरकारें और नियामक सबको एक ही मेज पर लाना होगा। सर्वे का आदेश पहला कदम है; असली परीक्षा है लाइनों की मरम्मत, लंबित परियोजनाओं की मंजूरी और जवाबदेही तय करना। जो लाइन एक वयस्क हाथी को मार सकती है, वह किसी भी ग्रामीण के लिए उतनी ही घातक है - सुरक्षा-मानकों का पालन अब विकल्प नहीं, दायित्व है।